

प्रेषक,

अधिकासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, अमरोहा

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय
अमरोहा

पत्रांक:- 442 / का0अ0 / 2024

दिनांक:- 28/06/2024

विषय:- आई0जी0आर0एस0 के अन्तर्गत ऑनलाईन सन्दर्भ संख्या 40013724009221 के संबंध में।
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ संख्या 40013724009221 की अनुपालन आख्या

निम्नवत् है:-

1. क्या राजस्व अधिकारी/कर्मचारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया है:-हाँ

1	प्रथम गवाह का नाम	श्री अंजार अहमद
2	प्रथम गवाह का मोबाइल नं0	9319139301
3	द्वितीय गवाह का नाम	श्री कागयाव अली
4	द्वितीय गवाह का मोबाइल नं0	9837116514
5	सुनने वाले/जोच अधिकारी का नाम	श्री अंसद जमाल, मो0नं0 9837194407
6	सुनने वाले जोच अधिकारी का पदनाम	कार्यालय अधीक्षक
7	जिसे सुना गया उसका नाम व पता	श्री सैयद अशहर तौसीफ पुत्र श्री तौसीफ हसन निवासी मौहल्ला गरितयान, अमरोहा
8	जिसे सुना गया उसका मोबाइल नं0	8218533746
9	स्थल जहा सुना गया	कार्यालय आख्यानसार
10	सुनवाई का दिनांक	27.06.2027

अधिकारी की आख्या- कृपया संलग्न आई0जी0आर0एस0 शिकायत संख्या 40013724009221 जो श्री सैयद अशहर तौसीफ पुत्र श्री तौसीफ हसन निवासी मौहल्ला गरितयान, अमरोहा द्वारा योजित है, जिसके अन्तर्गत आवेदक द्वारा मैस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी धनौरा रोड, अमरोहा पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में शिकायत की गयी है, के अनुपालन में अवगत कराना है कि श्री सैयद अशहर तौसीफ पुत्र स्व0 तौसीफ हसन निवासी मौहल्ला गरितयान अमरोहा के द्वारा जनसूचना के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जनसूचना के साथ प्रमाण पत्र संलग्न कर अवगत कराया गया कि आवेदक द्वारा प्राविधिक शिक्षा विभाग लखनऊ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत मैस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी धनौरा रोड अमरोहा की मान्यता से सम्बन्धित उन अभिलेखों की सत्यापित प्रतिलिपि मांगी गयी थी जो अध्यक्ष कमल फारूकी द्वारा उक्त संस्था की मान्यता के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये थे। उक्त के क्रम में आवेदक को प्राविधिक शिक्षा विभाग लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों की छायाप्रतियों में नगर पालिका परिषद अमरोहा द्वारा जारी भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र की छायाप्रति इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत की गयी कि नगर पालिका परिषद अमरोहा द्वारा दिनांक 24.01.2018 को राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय अमरोहा के सम्बन्ध में उक्त भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी किया गया है अथवा नहीं, संलग्न प्रमाण पत्र जारी करने की दिनांक अवधि में ग्राम निजामपुर गर्बी नगर पालिका परिषद अमरोहा की सीमा अन्तर्गत आता था अथवा सीमा से बाहर था व उक्त आशय का भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र नगर पालिका परिषद अमरोहा द्वारा जारी किया जाता है अथवा नहीं (छायाप्रति संलग्न)। उक्त के क्रम में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा प्रबन्धक/प्रधानाचार्य मैस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी अमरोहा को नोटिस पत्रांक 1035/का0अ0/20223 दिनांक 28.12.2023 जारी कर उनका पक्ष चाहा गया (छायाप्रति संलग्न), जिसके उपरान्त मैस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी द्वारा नोटिस के क्रम में दिनांक 06.01.2024 को अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया (छायाप्रति संलग्न)। अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक 1155/ का0अ0/2024 दिनांक 12.02.2024 द्वारा श्री सुखवीर सिंह, पी0सी0एस0/तत्कालीन अधिकासी अधिकारी से सन्दर्भित प्रमाण पत्र पर हुये तत्कालीन अधिकासी अधिकारी के हस्ताक्षर के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी (छायाप्रति संलग्न), श्री सुखवीर सिंह, पी0सी0एस0 प्रधान प्रबन्धक किसान सहकारी चीनी गिल्स लि0 नजीबाबाद जनपद विजनाौर द्वारा कार्यालय पत्रांक 3835 दिनांक 16.02.2024 द्वारा अवगत कराया गया कि सन्दर्भित प्रमाण पत्र दिनांक 24.01.2018 पर उनके हस्ताक्षर नहीं है (छायाप्रति संलग्न)। उक्त से स्पष्ट है कि प्रश्नगत प्रमाण पत्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया गया है। उक्त की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक 315/का0अ0/2024 दिनांक 06.06.2024 के द्वारा अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) महोदय को प्रेषित कर दी गयी है। उक्त प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) महोदय द्वारा की जानी है।

अतः कृपया उपरोक्तानुसार शिकायत को निस्तारित करने का कष्ट करें।

निवेदीय
अधिकासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, अमरोहा

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य
मैस्को इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मसी
निजामपुर गर्बी, धनौरा रोड, अमरोहा

अवगत कराना है कि श्री सैयद अशहर तौसीफ पुत्र स्व0 श्री तौसीफ हसन निवासी मौहल्ला गशितयान, अमरोहा द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन दिनांक 19.10.2023 मे अनुरोध किया है कि आपके द्वारा आपके विद्यालय की मान्यता के सम्बन्ध मे प्राविधिक शिक्षा विभाग लखनऊ को प्रस्तुत अभिलेखों मे मैस्को इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मसी निजामपुर गर्बी धनौरा रोड, अमरोहा के नगर पालिका परिषद अमरोहा द्वारा जारी भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (छाया प्रति संलग्न) प्रस्तुत किया गया है। उक्त जानकारी/अभिलेख श्री सैयद अशहर तौसीफ को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा विभाग लखनऊ से प्राप्त हुई है। आवेदक द्वारा इस कार्यालय से उक्त प्रमाण पत्र का सत्यापन करने का अनुरोध उक्त जनसूचना आवेदन के माध्यम से किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस कार्यालय द्वारा ऐसा कोई प्रमाण पत्र मैस्को इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मसी निजामपुर गर्बी धनौरा रोड, अमरोहा को जारी नहीं किया गया है। सम्बन्धित प्रमाण पत्र इस कार्यालय से दिनांक 24-01-2018 को जारी होना अंकित है जबकि निजामपुरगर्बी क्षेत्र शासन की अधिसूचना दिनांक 21-7-2022 तक इस कार्यालय के प्रशासनिक क्षेत्र का सम्मिलित क्षेत्र भी नहीं था तथा वर्ष 2018 मे ऐसा कोई प्रमाण पत्र पालिका द्वारा जारी नहीं किया जा सकता था। उक्त से स्पष्ट है कि नगर पालिका परिषद अमरोहा के नाम से कूटरचित प्रमाण पत्र (अभिलेख) अन्य शासकीय विभागो में अवैध रूप से प्रयोग किया गया है। प्रथमदृष्टया प्रकरण अवैध रूप से शासकीय लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से कूटरचित अभिलेखो को बनाये जाने की गम्भीर प्रवृत्ति का है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना लिखित पक्ष इस नोटिस प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें कि आप द्वारा इस कार्यालय के नाम से फर्जी प्रमाण पत्र प्राविधिक शिक्षा विभाग लखनऊ को प्रस्तुत क्यों किया गया ? निर्धारित समयावधि अन्तर्गत आपके द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में लिखित पक्ष प्रस्तुत न किये जाने पर यह मानते हुये कि उक्त के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, तदानुसार कूटरचित शासकीय अभिलेखो का उपयोग किये जाने के आरोप में सुसंगत धाराओ में विधिक कार्यवाही कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद अमरोहा

प्रतिलिपि:-

- 1-जिलाधिकारी महोदय, जनपद अमरोहा की सेवा में सादर सूचनार्थ।
- 2-श्री सैयद अशहर तौसीफ पुत्र स्व0 श्री तौसीफ हसन निवासी मौहल्ला गशितयान, अमरोहा।

अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद अमरोहा
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद
अमरोहा

कार्यालय
नगर पालिका परिषद्, अमरोहा

दिनांक- 24-01-2018

No. 110 No. 26/10/20

स्वामित्व प्रमाण -पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राशिदा वेगम मुस्लिम महाविद्यालय ग्राम- निजामपुरगर्वा,
घनोजरा रोड़, अमरोहा (उ०प्र०) के खसरा नं० 402 व 403 कुल रकबा 1.12 एकड़
भूमि पर मेस्को इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मसी हेतु भवन निर्माण किया गया है। अतः इस
भवन का उपयोग केवल मेस्को इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मसी के लिए ही किया जाएगा।
एवं नदिय में इस भवन पर मेस्को इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मसी का ही स्वामित्व होगा।



Rashida Begum Muslim Education Society

President

अधिसाक्षी अधिकारी
अधिसाक्षी अधिकारी
नगरपालिका परिषद्
नगर पालिका परिषद्
अमरोहा

(अभिमुख प्रसात्ति)
जनसुधामा १०००
प्रतिष्ठित विद्या मण्डल
सन् १९११, अमरोहा

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद अमरोहा
पत्र सं: एफएस-सीएफओ-2022(सू0अ0अधि0) / 516 दिनांक-गई 13, 2024

सेवा में,

श्रीमान जिलाधिकारी
जनपद अमरोहा।


नज्ञेदय,

कृपया डा0 सैय्यद अशहर तौसीफ, निवासी मौहल्ला गशितयान, अमरोहा, जनपद अमरोहा द्वारा मैस्को इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मसी धनौरा रोड अमरोहा की कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नान्यता प्राप्त किये जाने के परिपेक्ष्य में उक्त प्रकरण के सम्बंध में सूचना निम्नवत है:-

- 1- प्रभारी/अग्निशमन द्वितीय अधिकारी अमरोहा के पत्र संख्या: एफएस-2023(सू0अ0अधि0)/207 दिनांक: 09.11.2023 एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद अमरोहा कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय द्वारा मैस्को इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मसी धनौरा रोड अमरोहा हेतु संलग्न किया गया प्रमाण पत्र संख्या: सी-93/एजुकेशनल-93/सीएफओ/प्रयोज्यता/2017 दिनांक: 25.09.2017 को अग्निशमन विभाग कार्यालय जनपद अमरोहा से जारी नहीं किया गया है और न ही उक्त प्रमाण पत्र अग्निशमन विभाग जनपद अमरोहा से सत्यापित है।
- 2- मैस्को इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मसी धनौरा रोड अमरोहा के सचिव श्री शबी अहमद द्वारा दिनांक 27.11.2023 को निवेश मित्र पोर्टल की वेबसाईट पर ऑनलाईन अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया गया, जिसके क्रम में अग्निशमन विभाग जनपद अमरोहा द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर दिनांक 28.11.2023 को ऑनलाईन अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र (कम्प्लीशन) निर्गत किया गया है। (प्रति संलग्न)
- 3- निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र में स्पष्ट अंकित है कि यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत अभिलेखों/सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाये जाने पर निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण पत्र भूमि/भवन के स्वामित्व/अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।
- 4- मैस्को इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मसी धनौरा रोड अमरोहा को दिनांक 28.11.2023 को निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र (प्रति संलग्न) के पूर्व जनपदीय कार्यालय अमरोहा से कोई भी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है।

अतः रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।



3/05/2024
(अनिल कुमार सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
जनपद-अमरोहा।

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद अमरोहा
 पत्र सं०: एफएस-सीएफओ-2022(सू०अ०अधि०)/995 दिनांक-नवम्बर 13 , 2023
 सेवा में,
 ✓ सहायक जनसूचना अधिकारी /
 क्षेत्राधिकारी मण्डी धनौरा,
 जनपद अमरोहा।

कृपया अपर पुलिस अधीक्षक/नोडल अधिकारी जन सूचना जनपद अमरोहा महोदय के पत्र दिनांक: 31.10.2023 पर आपके पृष्ठांकन दिनांक: 01.11.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो श्री सैयद अशहर तौसीफ पुत्र रव० श्री तौसीफ हसन निवासी मौहल्ला गश्तियान, अमरोहा को राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय द्वारा मैस्को इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मसी धनौरा रोड अमरोहा के सम्वन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

उपरोक्तानुसार प्रतिष्ठान हेतु निर्गत प्रमाण पत्र की उपलब्ध करायी गयी छायाप्रति को सत्यापित किये जाने के सम्वन्ध में प्रभारी/अग्निशमन द्वितीय अधिकारी अमरोहा से आख्या प्राप्त की गयी, उनके पत्र संख्या: एफएस-2023(सू०अ०अधि०)/207 दिनांक: 09.11.2023 के (मूल रूप में संलग्न) एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद अमरोहा कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखानुसार अवगत कराना है कि राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय द्वारा मैस्को इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मसी धनौरा रोड अमरोहा हेतु संलग्न किया गया प्रमाण पत्र संख्या: सी-93/एजुकेशनल-93/सीएफओ/प्रयोज्यता/2017 दिनांक: 25.09.2017 अग्निशमन विभाग कार्यालय जनपद अमरोहा से जारी नहीं किया गया है। अतः संलग्न प्रमाण पत्र जनपद अग्निशमन विभाग से सत्यापित नहीं है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।


 13/11/2023
 (अनिल कुमार सिंह)
 मुख्य अग्निशमन अधिकारी
 जनपद-अमरोहा।

कार्यालय मुख्य अग्निशामक अधिकारी मुरादाबाद / अमरोहा

पत्रांक : सी-93 / एजुकेशनल-93 / सीएफओ / प्रयोज्यता / 2017

दिनांक: 25 शिंतवर 2017

सेवा में,

सचिव


राशिता वेगम पुलिसिंग महाविद्यालय द्वारा
भेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मोसी
धनौरा रोड, अमरोहा।

विषय:- भेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मोसी में अधिकांश अग्निशामक उपकरणों के संबंध में प्रयोज्यता प्रमाण पत्र।


कृपया उपरोक्त विषयक एवं आपके प्रार्थना पत्र पत्रांक: एम0 ई0 एफ0 / अग्नि सुरक्षा उपकरण / 2017 दिनांक 08.07.2017 के अनुसार उक्त वर्णित भवन का अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण/परीक्षण किया गया, तो निरीक्षण के दौरान वर्णित भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था हेतु लगे अग्निशामक उपकरण क्रियाशील दशा में सन्तोषजनक है। परिसर में उपलब्ध स्टाफ को अग्निशामक यंत्रों के संचालन की जानकारी दी गयी है तथा अग्निशामक उपकरणों की निर्धारित टैस्टिंग/रिफिलिंग फीस चालान संख्या 3563 दिनांक 08.07.2017 को रु0 200/- राजकीय कोषागार में जमा करायी है इस प्रकार प्रत्येक वर्ष वर्णित भवन में स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था हेतु लगे अग्निशामक उपकरणों का अग्निशामक विभाग से निरीक्षण / परीक्षण करा कर उक्त फीस राजकीय कोषागार में जमा कराकर उनकी उपयोगिता के सम्बन्ध में प्रयोज्यता प्रमाण पत्र करना अनिवार्य होगा।

उक्त वर्णित भवन में स्थापित सगंस्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्था में लगे अग्निशामक उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखना व उन्हें चिह्नित स्थानों पर लगाये रखने का पूर्ण उत्तरदायित्व स्वामी/प्रबंधक का होगा, तथा फायर के फिक्स इन्स्टालेशन को माह में एक बार उपलब्ध कर्मचारियों की फायर ड्रिल कराकर चैक कर लेंगे। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही/अनियमित पाये जाने पर निर्गत पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

अतः उपरोक्त शर्तों के अधीन उक्त भवन में स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का एक वर्ष 21.08.2018 तक के लिए प्रयोज्यता पत्र निर्गत किया है।


अग्निशामक
जनसुख
प्राविधिक शिक्षा मंत्रालय
अतार प्रस्था, अमरोहा




सी0
मुख्य अग्निशामक अधिकारी
मुरादाबाद

